

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 149/2017

बउनवान

अर्जुनसिंह आयु 43 साल पुत्र श्री देवलाल जाति -माली निवासी—बामला
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री कल्याण सिंह, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 12.11.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बामला, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 120/-रूपये अर्धदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजाया किया गया है।

अपील में न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में सुनवाई व जवाबदारी का अवसर नहीं दिया है न ही कभी आराजी के आराजी हल्का पटवारी की झूठी व मनगढ़त रिपोर्ट के आधार पर आराजी का निर्णय भूल की है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, आराजी पड़ी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील सरकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त किया गया है।

इस पर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में सुनवाई व जवाबदारी का अवसर नहीं दिया है न ही कभी आराजी के आराजी हल्का पटवारी की झूठी व मनगढ़त रिपोर्ट के आधार पर आराजी का निर्णय भूल की है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, आराजी पड़ी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील सरकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त किया गया है।

बहस सत्यमेव जयते अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को धराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदारी का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिकमण नहीं है, आराजी से कब्जा छोड दिया

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 243/2012 निर्णय दिनांक 17.5.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट के कथन को ध्यान में रखते हुए अपील की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपील को विधिवत सुनवाई के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील नम्बर 652/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 दी गयी सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी पर तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पत्रावली में उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार द्वारा कानून तोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलेक्टर, बारां

